

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19: मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि -

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है। इसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है। इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों का वर्णन नीचे दिए गए विवरण में किया गया है।

आकलन

2. एमपीसी की अप्रैल में अंतिम बैठक के समय से वैश्विक आर्थिक गतिविधि में विस्तार जारी है, हालांकि गति में कुछ सहजता आई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने नरम निजी खर्च और कम आवासीय निवेश के चलते वर्ष की शुरुआत कमजोरी के साथ की है, तथापि, दूसरी तिमाही में मजबूत खुदरा बिक्री और उन्नत रोजगार आंकड़ों के साथ सुधार प्रतीत होता है। यूरो क्षेत्र की वृद्धि में पहली तिमाही में गिरावट आई, हाल के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े और कमजोर उपभोक्ता और कारोबारी भावना से गति में कमी की ओर संकेत करते

हैं। जापानी अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में संकुचित हुई, हालांकि दूसरी तिमाही में इसमें सुधार होने की संभावना है जैसाकि निर्यात और विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) पर हाल के आंकड़ों द्वारा संकेत दिया गया है।

3. प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक गतिविधि काफी लचीली रही। चीनी अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में मजबूत गति कायम रखी, औद्योगिक उत्पादन पर हाल ही के आंकड़े और पीएमआई दर्शाता है कि दूसरी तिमाही में वृद्धि के स्थिर रहने की संभावना है। रूसी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017 के अंत में नरमी के बाद हाल के वर्षों में बढ़ोतरी प्रतीत होती है, दोनों विनिर्माण और सेवाओं के पीएमआई में अप्रैल में बढ़ोतरी हुई। दक्षिण अफ्रीका में, राजनीतिक स्थिरता आने से वृद्धि संभावनाओं में सुधार हुआ है जैसाकि उपभोक्ता विश्वास, विनिर्माण पीएमआई और खुदरा बिक्री में प्रतिलक्षित हुआ है। इसके विपरीत, ब्राजील से उच्च बेरोजगारी और नरम औद्योगिक उत्पादन पर कमजोर आंकड़े दर्शाते हैं कि मंदी के प्रभाव बने हुए हैं।

4. वैश्विक व्यापार वृद्धि में मजबूती बनी हुई है, हालांकि भौगोलिक-राजनीतिक तनाव से हाल ही में निर्यात आदेशों और हवाई माल भाड़े में गिरावट आई है। बढ़े हुए भौगोलिक-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 24 मई तक तेजी से बढ़ी किंतु इसके बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और रूस द्वारा आपूर्ति को सहज करने की संभावनाओं से कीमतों में नरमी आई। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण मूल धातु विशेषकर एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ गई। मजबूत डॉलर के कारण स्वर्ण ने बिक्री दबाव देखा है किंतु पिछले सप्ताह में यूरो क्षेत्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इस धातु में सुधार हुआ। बढ़ती पण्य-वस्तु कीमतों के आंशिक रूप से कुछ प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दबाव बढ़ गया।

5. वित्तीय बाजारों पर मौद्रिक नीति प्रत्याशाओं और भौगोलिक-राजनीतिक गतिविधियों को प्रमुख रूप से असर पड़ा। इक्विटी बाजार निष्पादन क्षेत्रों में अलग-अलग रहा है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पहली तिमाही के मजबूत अर्जन और व्यापार तनाव के कम होने के चलते ठीकठाक अभिलाभ हुआ है, जबकि प्रमुख उभरती बाजार

* 06 जून, 2018 को जारी किया गया।

अर्थव्यवस्थाओं में स्टॉकों को बढ़ते हुए डॉलर और फेडरल रिज़र्व बैंक द्वारा और वृद्धि की प्रत्याशाओं के चलते सेल-ऑफ का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में 10 वर्षीय सॉवरेन प्रतिफल मई के मध्य में 3 प्रतिशत को पार कर गया जिसका कारण मजबूत आर्थिक आंकड़े और सख्त मौद्रिक नीति की प्रत्याशाएं रही किंतु बाद में सुरक्षित आश्रय मांग के कारण इसमें नरमी आई, अन्य मुख्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में भी प्रतिफलों में नरमी आई। तथापि, अधिकांश ईएमईज में, वैश्विक बाजार में बढ़ते डॉलर की कमी के कारण उनके ऋण के लिए कम हुई विदेशी भूख के चलते बॉन्ड प्रतिफल बढ़ गए हैं। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर ने दिसंबर 2017 से लेकर मई में अपने उच्चतम स्तर को छुआ। डॉलर की तुलना में यूरो में काफी मूल्यहास हुआ जो मिश्रित कारक दिखाता है जिसमें यूरो क्षेत्र के लिए नरम वृद्धि आंकड़े शामिल हैं जिन्होंने दर्शाया कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण में विलंब हो सकता है और दूसरा कारक इसके दक्षिणी क्षेत्र में अनिश्चितता भी है। समान्य तौर पर ईएमई मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर की तुलना में मूल्यहास हुआ है।

6. घरेलू मोर्चे पर केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) ने 31 मई को वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के लिए राष्ट्रीय आय लेखों के तिमाही अनुमान और वर्ष 2017-18 के लिए अनंतिम अनुमान जारी किए। वर्ष 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.7 प्रतिशत अनुमानित की गई है जो 28 फरवरी को जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमानों से 0.1 प्रतिशत अंक ज्यादा है। बंपर फसल और ग्रामीण आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के जोर के चलते विशेषकर उन्नत ग्रामीण मांग के कारण निजी अंतिम उपभोग व्यय में काफी अधिक बढ़ोतरी से इस वृद्धि को सहारा मिला है। तिमाही आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत से बढ़ी जो पिछली सात तिमाहियों में सबसे तेज गति है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) वृद्धि चौथी तिमाही तक लगातार तीन तिमाहियों में बढ़ी।

7. आपूर्ति पक्ष पर, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के अनुमानों को भी बढ़ाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान खाद्यान्न और बागवानी में अब तक के सबसे अधिक

उत्पादन द्वारा सहायता मिली। तिमाही आधार पर, वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में कृषि वृद्धि तेजी से बढ़ी। 16 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सामान्य दक्षिण-पश्चिमी मानसून वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है जिसकी 30 मई को पुनः पुष्टि की गई। यह कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है।

8. औद्योगिक वृद्धि में भी मजबूती आई जो विनिर्माण के मजबूत निष्पादन को प्रतिलक्षित करती है, यह चौथी तिमाही में निरंतर तीन तिमाहियों में तेज हुई है। विनिर्माण फर्मा द्वारा क्षमता उपयोग वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में काफी बढ़ा जैसाकि रिज़र्व बैंक के आदेश बही, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के नवीनतम दौर में देखा गया। कोयले के उत्पादन में तेज विस्तार के कारण आठ मुख्य उद्योगों का उत्पादन अप्रैल में तीव्र हुआ जो 42 महीनों के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। सीमेंट उत्पादन ने भी अप्रैल में लगातार छह महीनों के लिए दुहरी अंकों में वृद्धि दिखाई। तथापि, विद्युत उत्पादन में कमी आई। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के अप्रैल-जून दौर के शुरुआती परिणामों के अनुसार, इनपुट कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि और घरेलू और बाह्य मांग स्थिति की अवधारणों के कारण वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में गतिविधि में कम दर से विस्तार होने की संभावना है। तथापि, नए घरेलू आदेशों और निर्यात के सहारे मई में विनिर्माण पीएमआई लगातार दसवें महीने के लिए विस्तारकारी मोड में रहा।

9. हालांकि, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार तथा वित्तीय सेवाओं जैसे कुछ संघटकों में कम वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र की वृद्धि नीचे की ओर संशोधित की गई, फिर भी यह मजबूत रही। निर्माण कार्यकलाप ने नई श्रृंखला (आधार 2011-12) में चौथी तिमाही में उच्चतम वृद्धि दर्ज की। विभिन्न उच्च बारंबारता सूचक भी सेवा क्षेत्र का लचीला निष्पादन दर्शाते हैं। ट्रैक्टरों और दुपहिया वाहनों की बढ़ती बिक्री ग्रामीण मांग की मजबूती दर्शाती है। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी अप्रैल में तेज हुई। रेलवे के राजस्व अर्जन मालभाड़ा ट्रैफिक में वृद्धि हुई जिसका कारण कोयले, उर्वरकों और सीमेंट में बढ़ोतरी थी। यात्री वाहनों की बिक्री वृद्धि तेज हुई किंतु अप्रैल में लगातार तीसरे महीने के लिए बंदरगाह ट्रैफिक में गिरावट आई। अप्रैल में घरेलू हवाई

यात्री ट्रैफिक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। निर्माण कार्यकलाप के दो मुख्य सूचक-सीमेंट उत्पादन वृद्धि तेज हुई और इस्पात उपभोग में सुधार हुआ। सेवा पीएमआई मई में थोड़ी कम हुई जो कारोबारी गतिविधि में कमी और नए आदेशों का ठहराव प्रतिलक्षित करती है।

10. सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष बदलाव द्वारा मापित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में तेजी से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई, ऐसा मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में काफी वृद्धि के कारण हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्तों (एचआरए) में वृद्धि के अनुमानित प्रभाव को छोड़कर हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च के 3.9 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 4.2 प्रतिशत हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने के लिए नरम रही, ऐसा सब्जियों की कीमतों में साधारण मौसमी वृद्धि की अपेक्षा कम वृद्धि, दलहन और चीनी, जिनमें अवस्फीति बनी हुई है, के कारण हुआ। तथापि, खाद्य समूह के अंदर, अनाज, फलों, तैयार भोजन, मांस और मछली में मुद्रास्फीति बढ़ी।

11. मुख्य रूप से तरल पेट्रोलियम गैस में अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप गिरावट और विद्युत में गिरावट के कारण अप्रैल में लगातार पांचवें महीने में ईंधन समूह की मुद्रास्फीति में कमी आई। तथापि, अन्य प्रमुख ईंधन मदों जैसे जलाई जाने वाली लकड़ी और चिप्स, उपलों, केरोसिन और कोयले में वृद्धि हुई। परिवहन और संचार उप-समूह में मुद्रास्फीति तेज हुई जिसका कारण कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बढ़ना था, हालांकि पेट्रोल और डीज़ल में घरेलू पास-थ्रू अपूर्ण था। कपड़ों, घरेलू सामान और सेवाओं, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा तथा व्यक्तिगत देखभाल और इसके सामान में भी मुद्रास्फीति बढ़ी।

12. रिज़र्व बैंक के परिवार सर्वेक्षण के मई 2018 के दौर में तीन महीनों और एक वर्ष आगे की अवधि में परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में क्रमशः 90 आधार अंक और 130 आधार अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि रिपोर्ट की गई। रिज़र्व बैंक के आईओएस में पोल की गई विनिर्माण फर्मों ने वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में इनपुट मूल्य दबावों और बिक्री कीमतों में वृद्धि रिपोर्ट की। मई में विनिर्माण पीएमआई में राय देने वाली फर्मों ने भी इनपुट और आउटपुट कीमतों में तेज वृद्धि दर्शाई। खेती इनपुट और

औद्योगिक कच्चे माल की लागत क्रमिक रूप से बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी दबावों में नरमी आई, तथापि संगठित क्षेत्र में ये दृढ़ रहे।

13. अप्रैल-मई 2018 के दौरान प्रणाली में चलनिधि सामान्य रूप से अधिशेष में रही। अप्रैल के दौरान रिज़र्व बैंक ने विशेषकर महीने के दूसरे पखवाड़े में बढ़े हुए सरकारी खर्च के कारण दैनिक निवल औसत आधार पर ₹ 496 बिलियन अधिशेष चलनिधि अवशोषित की। सहज चलनिधि स्थिति दर्शाते हुए, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) अप्रैल में कम होकर 5.89 प्रतिशत हो गई (मार्च में 5.96 प्रतिशत)। तथापि, प्रणाली में अधिशेष चलनिधि मई के पहले पखवाड़े में काफी कम हुई था तथा सेवा और वस्तु कर (जीएसटी) के चलते अंतर्वाह के कारण मई के तीसरे सप्ताह में प्रणाली में घाटे की स्थिति आ गई। रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में ₹100 बिलियन की चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए 17 मई 2018 को खुला बाजार परिचालन खरीद नीलामी आयोजित की। मई के अंतिम सप्ताह में प्रणाली में फिर से अधिशेष आ गया जिसने मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी के भुगतान को प्रतिलक्षित किया। एलएएफ के अंतर्गत दैनिक निवल औसत आधार पर अधिशेष चलनिधि अवशोषित की गई जो मई में घटकर ₹ 142 बिलियन हो गई। मई में 5.88 प्रतिशत पर डब्ल्यूएसीआर व्यापक रूप से अप्रैल 2018 के स्तर पर रहा।


14. अप्रैल 2018 में भारत का निर्यात पिछले महीने के मामूली डुबकी के बाद बढ़ गया जो कि मुख्य रूप से गैर-तेल निर्यात के समर्थन, विशेष रूप से इंजीनियरिंग सामान और रसायनों के कारण हुआ। अप्रैल 2018 में विकास दर क्रमशः कम हो गई; सोने के साथ-साथ मोती और कीमती पत्थरों के आयात में ज्यादा गिरावट आई है जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव के कारण है। फिर भी, एक साल पहले व्यापार घाटा मार्च और अप्रैल में अपने स्तर से बढ़ गया था। 2017-18 में बाहरी वित्तपोषण आरामदायक रहा। जबकि 2017-18 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पिछले वर्ष के साथ व्यापक रूप से तुलनीय था, ऋण प्रवाह में तेजी से बदलाव के कारण सकल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह मजबूत थे। हालांकि, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2018-19 (4 जून तक) में घरेलू पूंजी बाजार से सकल आधार पर 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर वापस ले लिए

जो वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को दर्शाता है। 1 जून 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 412 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

परिदृश्य


15. अप्रैल में 2018-19 के पहले द्वि-मासिक वक्तव्य में सीपीआई मुद्रास्फीति को एच1: 2018-19 में 4.7-5.1 प्रतिशत और एच2 में 4.4 प्रतिशत की सीमा में अनुमानित किया, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए प्रभाव शामिल है, जिसमें ऊपर की ओर जोखिम जुड़ा हुआ है। एचआरए संशोधन के प्रभाव को छोड़कर, सीपीआई मुद्रास्फीति एच1: 2018-19 में 4.4-4.7 प्रतिशत और एच2 में 4.4 प्रतिशत थी। अप्रैल नीति के बाद से वास्तविक मुद्रास्फीति के परिणाम अनुमानित ट्रेजेक्टरी के अनुसार व्यापक रूप से विकसित हुए हैं। तथापि, यहां पर एक महत्वपूर्ण रचनात्मक बदलाव हुआ है। जबकि सब्जियों की कीमतों में गर्मी की गति सामान्य पैटर्न की तुलना में कमजोर थी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में अचानक तेजी हुई।

16. हेडललाईन मुद्रास्फीति परिदृश्य मुख्य रूप से दो प्रतिकूल प्रभाव से प्रेरित होता है। एक तरफ, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च से अप्रैल में 80 आधार अंकों से बढ़कर 5.3 प्रतिशत के पूर्व- एचआरए स्तर तक पहुंच गई, जो कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों के सख्त होने का संकेत करते हैं। इसके अलावा, अप्रैल आरंभ में एमपीसी की बैठक के बाद, कूड के भारतीय बास्केट की कीमत 66 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 74 अमेरिकी डॉलर हो गई। यह, अन्य वैश्विक वस्तुओं की कीमतों और हाल के वैश्विक वित्तीय बाजार विकास में वृद्धि के साथ-साथ, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट लागत के दबाव में मजबूती आई है, जिसकी पुष्टि ति2:2018-19 में रिजर्व बैंक के विनिर्माण कंपनियों के लिए आईओएस में भी हुई है। खाद्य, ईंधन और एचआरए को छोड़कर मुद्रास्फीति की गति में परिणामी पिक-अप ने 2018-19 के लिए उच्च सीपीआई अनुमानों में दृढ़ता प्रदान की है। दूसरी तरफ, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले कुछ महीनों में मौन रही है और सामान्य मौसमी पिकअप में देरी हुई है, जो अल्पावधि में अनुमानों को नरम कर रही है। इन प्रभावों को ध्यान में



रखते हुए, अनुमानित सीपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 के लिए एच1 में 4.8-4.9 प्रतिशत और एच2 में 4.7 प्रतिशत संशोधित की गई है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए प्रभाव शामिल है, जिसमें ऊपर की ओर जोखिम जुड़ा हुआ है (चार्ट 1)। एचआरए संशोधन के प्रभाव को छोड़कर, सीपीआई मुद्रास्फीति एच1 में 4.6 प्रतिशत और एच2 में 4.7 प्रतिशत पर अनुमानित है।

17. विकास परिदृश्य की ओर मुड़ते हुए, सीएसओ के अनंतिम अनुमानों ने ति4: 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7.7 प्रतिशत पर रखा है - जो कि ति3 की तुलना से 70 आधार अंक उच्च पर है- निवेश और निर्माण गतिविधि में तेज गतिवृद्धि दी गई है। क्षमता उपयोग और क्रेडिट ऑफटेक में सुधार के साथ, हाल के महीनों में वित्त पोषण की स्थिति में कुछ कटौती होने के बावजूद निवेश गतिविधि मजबूत रहने की उम्मीद है। वैश्विक मांग भी उत्साहजनक रही है, जो निर्यात को प्रोत्साहित करेगी और निवेश को और जोर देगी। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में तेज वृद्धि, हालांकि, प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकती है। ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोग, मजबूत बना हुआ है और इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक के आईओएस के शुरुआती परिणामों के मुताबिक, विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधि की कुल व्यापार स्थिति और ऑर्डर बुक में गिरावट के कारण ति2: 2018-19 में मामूली



रूप से मामूली वृद्धि की उम्मीद है। एक समग्र मूल्यांकन के आधार पर, 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अप्रैल नीति में 7.4 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि एच1 में 7.5-7.6 प्रतिशत और एच2 में 7.3-7.4 प्रतिशत की सीमा में अनुमानित है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित है (चार्ट 2)।

18. अप्रैल के संकल्प में बेसलाइन मुद्रास्फीति पथ के लिए एक प्रमुख उध्वर्गामी जोखिम कार्यान्वित किया गया, अर्थात्, भारतीय कूड बास्केट की कीमत में 12 प्रतिशत की वृद्धि, जो पहले के अपेक्षित से तेज थी और टिकाऊ प्रतीत होती है। कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में अस्थिरता रही है और यह दोनों ऊपर और नीचे की तरफ मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए काफी अनिश्चितता प्रदान करती है। कई अन्य जोखिम बने हुए हैं। सबसे पहले, वैश्विक वित्तीय बाजार विकास अनिश्चितता के एक और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। दूसरा, रिजर्व बैंक के मई 2018 सर्वेक्षण के दौर में इकट्ठे किए परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि आने वाले महीनों में मजदूरी और इनपुट लागत को पूरा कर सकती है। हालांकि, वर्तमान में आउटपुट कीमतों में पास-थ्रू मौन बना हुआ है, तीसरे, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए संशोधन के टेढ़े प्रभाव से हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। जबकि एचआरए संशोधन के

सांख्यिकीय प्रभाव को देखा जाएगा, मुद्रास्फीति पर किसी भी दूसरे दौर के प्रभाव को देखने की आवश्यकता है। चौथा, खरीफ फसलों के लिए एमएसपी फॉर्मूला में संशोधन का असर पर्याप्त विवरण की अनुपस्थिति के कारण इस चरण में आकलन करना संभव नहीं है। पांचवां, आईएमडी द्वारा पूर्वानुमान के अनुसार, यदि मानसून सामान्य और अस्थायी रूप से और स्थानिक रूप से अच्छी तरह से वितरित होता है, तो यह खाद्य मुद्रास्फीति को अच्छा रखने में मदद कर सकता है।

19. उपर्युक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंकों तक बढ़ाने का फैसला किया और तटस्थ रख रखा। एमपीसी एक टिकाऊ आधार पर 4 प्रतिशत की हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

20. एमपीसी नोट करता है कि घरेलू आर्थिक गतिविधि ने हाल की तिमाहियों में निरंतर पुनरुद्धार का प्रदर्शन किया है और आउटपुट अंतर लगभग बंद हो गया है। निवेश गतिविधि, विशेष रूप से, अच्छी तरह से ठीक हो रही है और दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता के तहत अर्थव्यवस्था के तंग क्षेत्रों के त्वरित समाधान से और आगे बढ़ सकती है। भू-राजनीतिक जोखिम, वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिरता और व्यापार संरक्षणवाद का खतरा घरेलू वसूली के लिए विपरीत परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक वित्त इस महत्वपूर्ण मौके पर निजी क्षेत्र की निवेश गतिविधि को उसके स्थान से बाहर न कर दें। केंद्र और राज्यों द्वारा बजटीय लक्ष्यों का पालन करना - जैसा कि अब तक इस मामले में प्रतीत होता है - पर्याप्त रूप में मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए उध्वर्गामी जोखिम को भी कम करेगा।

21. डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच ढोलकिया, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, डॉ. विरल वी. आचार्य और डॉ. उर्जित आर. पटेल ने निर्णय के पक्ष में मतदान किया। एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 20 जून 2018 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

22. एमपीसी की अगली बैठक 31 जुलाई और 1 अगस्त 2018 को होगी।

विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाजारों के विस्तार तथा उनको सघन बनाने, मुद्रा तथा ऋण प्रबंधन में सुधार करने, भुगतान तथा निपटान प्रणाली में नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा डेटा प्रबंधन सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति उपायों का निर्धारण करता है।

1. विनियमन एवं पर्यवेक्षण

1. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से निकाले गए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में वृद्धि

मौजूदा रोडमैप के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 01 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत के न्यूनतम चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तह पहुंचना है। वर्तमान में, बैंकों की एलसीआर की गणना के उद्देश्य से स्तर 1 की उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के रूप में अनुमति दी गई परिसंपत्तियों में, अन्य विषयों के साथ, न्यूनतम आवश्यकता से अधिक तथा अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत उच्चतम सीमा तक (वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 2 प्रतिशत) तथा चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएलएलसीआर) हेतु चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा के तहत (वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 9 प्रतिशत) सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। एलसीआर की गणना करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त, बैंकों को अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर एफएलएलसीआर के अंतर्गत उनके एनडीटीएल के अतिरिक्त 2 प्रतिशत तक उनके द्वारा रखी गई स्तर 1 एचक्यूएलए सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार, बैंकों के पास उपलब्ध एसएलआर में से कुल आय उनके एनडीटीएल का 13 प्रतिशत होगी। एलसीआर के संबंध में अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

बैंकों द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा निवेश पोर्टफोलियो के परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समकक्ष परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्रतिफल के ऊपर 25 आधार अंकों की एक समान

वृद्धि के साथ परिपक्वता तक प्रतिफल (वाईटीएम) पद्धति लागू करके किया जाता है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अवलोकित मूल्य के आधार पर किया जाए। व्यापारिक राज्य सरकार प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उस कीमत पर होगा जिस मूल्य पर बाजार में उनका कारोबार हुआ है। गैर-व्यापारिक राज्य सरकार प्रतिभूतियों के मामले में, मूल्यांकन समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल पर राज्य विशिष्ट भारत औसत पर आधारित होगा, जैसा कि प्रथम नीलामी में पाया गया था। इस आशय हेतु विस्तृत दिशानिर्देश 20 जून, 2018 तक अलग से जारी किए जाएंगे।

3. एमटीएम हानि का प्रसार

सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में वृद्धि के चलते, बैंकों को दिसंबर 2017 तथा मार्च 2018 को समाप्त तिमाहियों के दौरान अपने निवेश पोर्टफोलियो में दर्ज मार्क-टू-मार्केट हानि को चार तिमाहियों में प्रसारित करने का विकल्प दिया गया था। यह भी आवश्यक था कि बैंक इस प्रकार की संभाव्य घटनाओं से बचने के लिए एएफएस तथा एचटीएफ श्रेणियों में उनकी कुल धारिता के 2 प्रतिशत के निवेश उतार चढ़ाव रिज़र्व भी बनाए। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में निरंतर वृद्धि तथा कई बैंकों के लिए आईएफआर बनाने के लिए समय की अपर्याप्तता के मद्देनजर, बैंकों को 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही से प्रारम्भ होने वाली चारों तिमाहियों की अवधि के लिए समान रूप से 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) तथा व्यापार हेतु रखे गए (एचएफटी) में हुए निवेश पर मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) हानि का प्रसार करने का विकल्प देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में परिपत्र एक सप्ताह में जारी किया जाएगा।

4. शहरी सहकारी बैंकों का स्वैच्छिक आधार पर लघु वित्त बैंकों के रूप में परिवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर श्री आर. गांधी की अध्यक्षता में शहरी सहकारी बैंको (यूसीबी) पर गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफ़ारिश की थी कि बड़े बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा अन्य शहरी सहकारी बैंकों को कुछ मानदंडों के अधीन स्वैच्छिक आधार पर लघु वित्त बैंकों के रूप में परिवर्तित किया जाए। इन सिफ़ारिशों के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित मानदंडों

को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्त बैंकों के रूप में स्वैच्छिक आधार पर परिवर्तन की अनुमति दी जाए। इस संबंध में विस्तृत विवरण सहित योजना की घोषणा अलग से की जाएगी।

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को नियमनिष्ठ बनाने को प्रोत्साहन देना।

फरवरी 2018 में, बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), जिन्हें इन उधारदाताओं से 250 मिलियन रुपए तक की समग्र सीमा के अंतर्गत क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, को 180 दिनों के पूर्व देय मानदंडों के आधार पर, कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन, अपने एकस्पोज़रों को वर्गीकृत करने हेतु अनुमति दी गई थी। वस्तु एवं सेवा कर में उनके पंजीकरण के पश्चात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नियमनिष्ठ क्षेत्र में परिवर्तित करने को सुचारु बनाने के उद्देश्य से यह किया गया है

इनपुट क्रेडिट लीकेज तथा अन्य संबन्धित मामलों के मद्देनजर, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकरण न किए गए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), जिन्हें ऊपर उल्लिखित समग्र सीमा के अंतर्गत क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, को 180 दिनों के पूर्व देय मानदंडों के आधार पर, कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन, अपने एकस्पोज़रों को वर्गीकृत करने हेतु अनुमति दी गई थी। तदनुसार, पात्र एमएसएमई खाते, जो कि 31 अगस्त, 2017 को मानक थे, को बैंक और एनबीएफसी द्वारा मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा, यदि 01 सितंबर 2017 को देय भुगतान और उसके बाद के देय भुगतान जो कि 31 दिसंबर 2018 तक देय थे/ हैं, का उनकी मूल देय तिथि के 180 दिनों के बाद भुगतान नहीं किया गया/ जाता है।

अर्थव्यवस्था के नियमिकरण को बढ़ाने से वित्तीय स्थिरता में होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए, 1 जनवरी, 2019 से जीएसटी में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा देय बकाया राशि के संबंध में 180 दिन पूर्व देय मानदंडों को मौजूदा 90 दिनों के पूर्व देय मानदंडों के साथ चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जाएगा। जबकि 31 दिसंबर, 2018 तक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं होने वाली एंटिटियों के लिए, 1 जनवरी 2019

से देय बकाया राशि के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण को तत्काल 90 दिन के मानदंड पर वापस लाया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

6. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी दिशानिर्देशों को आवास ऋणों हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत यथा-परिभाषित किफायती आवास के रूप में परिवर्तित करना

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी दिशानिर्देशों को आवास ऋण हेतु किफायती आवास योजना तहत अधिकतम परिवर्तित करने के उद्देश्य से तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निचले आय समूहों के लिए कम लागत वाले आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) में आवास ऋणों की पात्रता सीमाओं को मेट्रोपॉलिटन केंद्रों में मौजूदा ₹ 28 लाख से बढ़ा कर ₹ 35 लाख (दस लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र) और अन्य केंद्रों में मौजूदा ₹20 लाख से बढ़ा कर ₹ 25 लाख किया जाए, बशर्ते कि आवासीय इकाई की कुल लागत मेट्रोपॉलिटन केन्द्रों तथा अन्य केंद्रों में क्रमशः ₹45 लाख और ₹30 लाख से अधिक न हो। इस संबंध में एक परिपत्र 30 जून 2018 तक जारी किया जाएगा।

7. सस्ते टिकट आकार के आवास संबंधी नए परिवर्तन

आवास ऋणों संबंधी डेटा के सूक्ष्म विश्लेषण के पश्चात, यह देखा गया है कि दो लाख रुपए तक के टिकट आकार के लिए एनपीए का स्तर उच्च रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। बैंकों को अपनी स्क्रीनिंग को मजबूत करने और विशेष रूप से इस सेगमेंट को उधार देने के संबंध में अनुवर्ती जांच-पड़ताल की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक इस क्षेत्र की बारीकी से निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर एलटीवी अनुपात को और अधिक कड़ा बनाने पर एवं / अथवा जोखिम भार में वृद्धि के रूप में उचित नीति प्रतिक्रिया पर आवश्यकतानुसार विचार करेगा।

8. कोर निवेश कंपनियों को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) में प्रायोजक के रूप में निवेश करने के लिए अनुमति देना

रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) मुख्य रूप से समूह कंपनियों में निवेश करती हैं और कोई अन्य एनबीएफसी संबंधी गतिविधि नहीं करती हैं। उन्हें समूह

कंपनियों में इक्विटी शेयर, अधिमानी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ऋण या ऋण के रूप में कम से कम 90 प्रतिशत तक निवल संपत्ति के रूप में निवेश करना होगा, जबकि समूह कंपनियों में इक्विटी निवेश निवल संपत्ति के कम से कम 60 प्रतिशत तक होना चाहिए। बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) में निवेश के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए, सीआईसी को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के प्रायोजकों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम करने का निर्णय लिया गया है और उन्हें इक्विटी निवेश के लिए 60 प्रतिशत की उप-सीमा के हिस्से के तौर पर प्रायोजकों के रूप में इनविट इकाइयों के अपने होल्डिंग्स की गणना करने की अनुमति दी गई है। बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) हेतु सीआईसी का एक्सपोजर प्रायोजकों के रूप में उनके होल्डिंग तक ही सीमित होगा और किसी भी समय, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट) विनियमावली, 2014 में यथा-विनिर्दिष्ट राशि और अवधि के मामले में न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं होगा। इस संबंध में आवश्यक निर्देश एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाएंगे

II. वित्तीय बाजार

9. अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) हेयरकट को समरूप बनाना

वर्तमान में, रिज़र्व बैंक पात्र संपार्श्विक के एवज में रेपो / सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) विंडो के माध्यम से बाजार प्रतिभागियों को रुपये में चलनिधि प्रदान करता है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (टी-बिल सहित) और राज्य विकास ऋणों पर (एसडीएल) पर क्रमशः 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत का प्रारंभिक मार्जिन लागू किया गया है, जो रेपो / एमएसएफ में प्रतिभागियों द्वारा संपार्श्विक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि मार्जिन आवश्यकता सभी पात्र प्रतिभूतियों के समान है, भले ही अवशिष्ट परिपक्वता कितनी भी हो, मौजूदा प्रणाली प्रतिभूतियों में बाजार जोखिम को अलग-अलग नहीं करती है।

समीक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अगस्त, 2018 से शुरू करते हुए इसकी अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर संपार्श्विक पर प्रारंभिक मार्जिन रखा जाए। केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता अवशिष्ट परिपक्वता के पांच अलग-अलग बकेट में 0.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक होगी। एसडीएल के मामले में प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता

उसी परिपक्वता बकेट के लिए 2.5 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत की सीमा में होगी। एसडीएल को सार्वजनिक रेटिंग प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि रेटेड एसडीएल के लिए प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता उसी परिपक्वता बकेट के लिए अन्य एसडीएल की तुलना में 1.0 प्रतिशत कम निर्धारित की जाएगी, यानि, 1.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत की सीमा में। इस संबंध में एक परिपत्र आज जारी किया जाएगा।

10. सरकारी प्रतिभूति बाजार में भागीदारी में वृद्धि

(i) सरकारी प्रतिभूतियों में लघु बिक्री

केंद्र सरकार प्रतिभूतियों (जी-सेक) में लघु बिक्री फरवरी 2006 में ब्याज दरों पर दो-तरफा दृष्टिकोण व्यक्त करने और इस प्रकार मूल्य खोज में वृद्धि के लिए एक उपाय प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। वर्तमान में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों और कुछ अच्छी तरह से प्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को लघु बिक्री लेनदेन करने की अनुमति है। लघु बिक्री लेनदेन करने के लिए इकाई-वार और (तरल या अपर्याप्त) सुरक्षा-वार सीमाएं हैं। जी-सेक और रेपो बाजार को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, पात्र लघु बिक्री प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाने के साथ-साथ जी-सेक में छोटी बिक्री के लिए इकाई-वार और सुरक्षा श्रेणीवार सीमाओं में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक परिपत्र जून 2018 के अंत तक जारी किया जाएगा।

(ii) सरकारी प्रतिभूतियों बाजार में व्हेन इश्यूड (डब्ल्यूआई)

बेहतर प्रबंधन के माध्यम से ऋण जारी करने के ढांचे और नीलामी जोखिम वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 के आलोक में मई 2006 में केंद्र सरकार प्रतिभूति (जी-सेक) में 'जब जारी' बाजार (डब्ल्यूआई) शुरू किया गया था। वर्तमान में, डब्ल्यूआई बाजार में लंबी स्थिति (लॉग पोजिशन) नीलामी में भाग लेने के योग्य व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है, जबकि केवल बैंकों और प्राथमिक डीलरों (पीडी) को छोटी स्थिति (शॉर्ट पोजिशन) लेने की अनुमति है। इसके अलावा, बैंकों और पीडी के लिए शॉर्ट पोजिशन 5 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। भागीदारी मानदंड धीरे-धीरे आसान हो गए हैं। जी-सेक बाजार को और गहन बनाने के उद्देश्य से, पात्र प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाने और 'जब जारी' बाजार में जगह बनाने के लिए इकाई-वार सीमाओं में छूट देने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक परिपत्र जून 2018 के अंत तक जारी किया जाएगा।

11. एकल आधार प्राथमिक डीलरों की गतिविधियों का विस्तार करना

एकल आधार प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को धीरे-धीरे स्वीकार्य सीमाओं के भीतर जी-सेक गतिविधियों से वैकल्पिक माध्यमों में अपनी गतिविधियों को विविधता देने की अनुमति दी गई है। अपने एफपीआई ग्राहकों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए एसपीडी की सुविधा के लिए, एसपीडी को एक सीमित विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक परिपत्र जून 2018 के अंत तक जारी किया जाएगा।

12. बाजार दुरुपयोग संबंधित विनियम

वित्तीय बाजारों में गतिविधि और भागीदारी को बढ़ाने और बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय जोखिम को पुनर्वितरित करने के लिए विभिन्न विनियामक पहलों को तेजी से लागू किया जा रहा है। संयोग से, गलत बाजार प्रथाओं को रोकने के लिए नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारतीय स्थायी आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमडीए) ने बैंकों और अन्य सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाए जाने के लिए एक उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) विकसित किया है। विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफडीआईआई) ने भारतीय विदेशी मुद्रा (एफएक्स) बाजार में बाजार प्रतिभागियों के लिए भी वैश्विक आचार संहिता अपनाया है, यह थोक एफएक्स बाजार के लिए ऐसी वैश्विक आचार संहिता है जो उच्च नैतिक मानकों से निहित है और मजबूत, निष्पक्ष, तरल, खुले और उचित पारदर्शी बाजार को बढ़ावा देने के सिद्धांतों को निर्धारित करता है, । इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित बाजारों में दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप नियमों को लाने का प्रस्ताव है। परामर्श के लिए प्रारूप विनियमन अगस्त 2018 के अंत तक जारी किया जाएगा।

13. केंद्रीय काउंटरपार्टियों के लिए नीति ढांचा

केंद्रीय काउंटरपार्टियां (सीसीपी) वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीसीपी उनके द्वारा प्रदत्त बाजारों में गारंटीकृत निपटान सेवाएं प्रदान करते हैं और प्रतिभागियों के लिए प्रतिपक्ष जोखिम को कम करते हैं, जिससे प्रणालीगत जोखिम कम हो जाता है। ताकि ये संस्थाएं एक कुशल और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें, रिजर्व बैंक विदेशी सीसीपी की मान्यता के लिए ढांचे को तैयार करेगा और साथ ही सभी सीसीपी के लिए पूंजी आवश्यकता और अभिशासन ढांचे को

भी तैयार करेगा। ये निदेश जुलाई 2018 के अंत तक जारी की जाएंगी।

III. ऋण प्रबंधन

14. राज्य सरकारों की समेकित ऋण-शोधन निधि और गारंटी उन्मोचन निधि

राज्य सरकारें अपनी देनदारियों की चुकौती के लिए रिजर्व बैंक के पास समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) को बफर के रूप में बनाए रख रही हैं। वर्तमान में, राज्य सरकारें सीएसएफ और जीआरएफ में उपलब्ध निधियों के संपार्श्विक के बदले रिजर्व बैंक से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठा सकती हैं। प्रभारित ब्याज की दर रेपो दर से 100 आधार अंक कम है जिस पर राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा इन निधियों के पर्याप्त रखरखाव को और प्रोत्साहित करने तथा इन निधियों के कॉर्पस को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएफ पर ब्याज की दर को कम करके उसे रेपो दर से 100 आधार अंक नीचे के बजाए रेपो दर से 200 आधार अंक नीचे कर दिया जाए। इस संबंध में 30 जून 2018 तक परिपत्र जारी किया जाएगा।

IV. भुगतान और निपटान

15. भुगतान प्रणालियों का प्रमाणीकरण

खुदरा भुगतान बाजार की परिपक्वता को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में खुदरा भुगतान प्रणाली में संकेंद्रण जोखिम को कम किया जाए। रिजर्व बैंक इस क्षेत्र में नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भुगतान प्लेटफार्मों में भाग लेने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए अधिक भागीदारों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है। इस संबंध में 30 सितंबर 2018 तक सार्वजनिक परामर्श हेतु एक नीति पत्र लाया जाएगा।

V. मुद्रा प्रबंधन

16. भारतीय बैंक नोटों का उपयोग करने में दृष्टिबाधितों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करना

भारतीय बैंक नोटों के साथ दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक व्यवसाय को संचालित करने में जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, रिजर्व बैंक उसके प्रति संवेदनशील है। भारतीय बैंक नोटों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने

से पूर्व समय-समय पर विभिन्न मंचों से परामर्श लिया जाता है, तथापि, रिज़र्व बैंक का यह मानना है कि तकनीकी प्रगति ने दृष्टिहीन व्यक्तियों को भारतीय बैंकनोटों को और अधिक सहजता से पहचानने हेतु एक नया खाका प्रदान किया है जिससे उनका दैनिक लेन-देन सुविधाजनक हो गया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक, दृष्टिहीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न संस्थाओं के परामर्श से, दृष्टिहीनों के लिए भारतीय बैंकनोटों की पहचान में सहायक एक उपयुक्त उपकरण या तंत्र विकसित करने की व्यवहार्यता का पता लगाएगा। रिज़र्व बैंक छह महीने के भीतर इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा।

VI. डेटा प्रबंधन

17. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर उच्च स्तरीय कार्यदल

जैसा कि 4 अक्टूबर 2017 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों से संबंधित वक्तव्य में दर्शाया गया था, भारत के लिए पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) पर एक उच्चस्तरीय कार्यदल (अध्यक्ष: श्री यशवंत एम. देवस्थले) का गठन रिज़र्व बैंक द्वारा क्रेडिट पर सूचनाओं की वर्तमान उपलब्धता, मौजूदा सूचना उपयोगिता की पर्याप्तता, तथा कमियों की पहचान जिसे पीसीआर द्वारा ठीक किया जा सके, की समीक्षा के लिए किया गया था। उक्त कार्यदल, जिसने 4 अप्रैल 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने सिफारिश की थी कि सूचना विषमता के समाधान, क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट संस्कृति को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों के निपटारे हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा एक पीसीआर स्थापित किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने कार्यदल की सिफारिशों पर विचार किया है तथा मॉड्यूलर और चरणबद्ध तरीके से एक पीसीआर स्थापित करने का निर्णय

लिया है। कार्यदल की रिपोर्ट आज रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जनता के लिए जारी की जाएगी। पीसीआर की स्थापना के लिए आगामी कदम के रूप में लॉजिस्टिक एवं डिजाइन में सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक कार्यान्वयन टास्क फोर्स (आईटीएफ) का गठन किया जा रहा है।

18. उदारीकृत विप्रेषण योजना के लिए डेटा और परिभाषाओं का सामंजस्य

5 अप्रैल 2018 को पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 में की गई घोषणा के अनुसार, अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों द्वारा उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत व्यक्तिगत लेनदेन की दैनिक रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली अधिकृत डीलर बैंकों को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पहले से भेजे गए विप्रेषण को देखने में सक्षम बनाती है, जिससे निगरानी में सुधार हो सके और एलआरएस सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि उक्त रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रेषक-वार आकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रेषक के स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में करती है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के तहत जाने वाले सभी विप्रेषणों के लिए पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया जाए, जिसे अब तक 25,000 अमेरिकी डॉलर तक के अनुमत चालू खाता लेनदेन पर प्रस्तुत करने हेतु जोर नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त, करीबी रिश्तेदारों के निर्वाह के लिए एलआरएस के तहत अनुमोदित विप्रेषण के संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि 'रिश्तेदार' की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 1956 के बजाय कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के साथ संरेखित किया जाए।